Volume: 2 Issue: 8 Pages: 102-103

भारत में महिलाओं के प्रति लैंगिक असमानता का अध्ययन

*[1] रक्षा एवं [2]उदयवीर सिंह

*[1] विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, चौ0 सुघर सिंह एजूकेशनल एकेडमी, जसवन्तनगर, इटावा, उ0प्र0, भारत।

[2] विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग, कर्मक्षेत्र महाविद्यालय, इटावा, उ0प्र0, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 5.231
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 23/Aug/2023
Accepted: 25/Sep/2023

***Corresponding Author**
रक्षा
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, चौ0 सुघर सिंह एजूकेशनल एकेडमी, जसवन्तनगर, इटावा, उ0प्र0, भारत।

Abstract
भारतीय समाज ने इस लिंग भेदभाव की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है समाज लगभग 50% इन स्त्रियों के योगदान से वंचित रहा है। लिंग–भेदभाव यौन पृथक्करण में प्रकट होता है। लड़कों और लड़कियों के जरा बड़े होते ही अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं, उनके खेल भी अलग हैं, पढ़ाई के विषय भी अलग हैं, संस्कार भी अलग हैं और जीवन की पूरी तैयारी अलग अलग होती है। लड़कों के घर से बाहर निकलने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है, जबकि लड़कियों को घर में रहने के लिये बाध्य किया जाता है। भारत एक विकासशील देश होने के साथ साथ एक कृषि प्रधान देश भी है। सम्पूर्ण भारत के विकसित होने के लिये तीव्र आर्थिक विकास होना अति आवश्यक है, यह विकास तभी सम्भव हो सकता है जब समाज में स्त्री और पुरुष की बराबर की भागेदारी हो। लेकिन वर्तमान समय में जो आज हालात हैं उसमें नारी के साथ अत्यन्त भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि पुत्र होने पर घर में उत्सव मनाया जाता है, यदि पुत्री हो जाती है तो वहाँ शोक का माहौल हो जाता है। भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत महत्व प्रदान किया गया है, और कहा गया है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अतः अन्त में हम कह सकते हैं कि लैंगिक असमानता एक मीठा जहर है जो पूरे समाज को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है यह तभी सम्भव हो सकता जब इसमें सरकार का सहयोग एवं समाज का सामूहिक प्रयास हो। इसके लिये हमें नारी सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि यदि हम महिलाओं में लैंगिक असमानता इसी तरह करते गये तो समाज में उन्नति होकर भी हम पिछड़े रहेगें, इसके लिए हमें भारतीय समाज में लोगों की मानसिकता बदलनी होगी, और शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाकर महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ानी होगी तभी विकसित समाज तथा समृद्ध भारत का निर्माण हो सकेगा।

मुख्य शब्द: लैंगिक असमानता, भारत, महिलाओं, अशिक्षा, निर्धनता

परिचय

हमारा भारतीय समाज 23वीं शताब्दी के भारतीय होने का गर्व करता है और वहीं पर एक छोटी सी मानसिकता का परिचय भी देता है। लड़कों को समाज में ज्यादा प्यार दिया जाता है और उनके जन्म की चाह में तरह–तरह की मन्नतें मॉगी जाती हैं कि घर में एक पुत्र पैदा हो जाये। वहीं पर प्राचीन काल से ही हम लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते चले आ रहे हैं, यदि सौभाग्य से वह मारी नहीं जातीं या वह बच जाती हैं तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ़ लेते हैं।

लैंगिक असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन गया है। विश्व के अनेक समाजों में विशेषकर विकासशील देशों में, स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरूषों के समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाता है।

भारत पुरूष प्रधान एवं पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें अन्य सभी समाजों की तरह जीवन सभी क्षेत्रों में पुरूषों एवं स्त्रियों में लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वर्तमान समय में लैंगिक असमानता संबंधी अध्ययन किसी एक राष्ट्र की सीमाओं के

अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं में सम्मिलित विषय नहीं रहा, बल्कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय हो गया, क्योंकि आधुनिक समय में विश्व का आकार लघु होता जा रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं को एकबद्ध कर दिया है। अतः इस तरह से लिंग संबंधी असमानता एवं समस्याओं का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत में लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें पुरूष स्त्रियों पर अपना वर्चस्व जमाता है, और वह स्त्रियों का शोषण करता है। और आज भी पुरूष महिलाओं को अपने महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार नही देता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं– एक तो निर्धनता और दूसरे अशिक्षा। क्योंकि लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है वह इसलिये एक दिन उसकी शादी होगी, उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है।

प्रत्येक समाज में लैंगिक असमानता अनेक रूपों में विद्यमान रहती है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार– लैंगिक असमानता विश्व के सभी देशों जैसे जापान से जाम्बिया, यूक्रेन से संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, पुरूषों एवं स्त्रियों में असमानता अनेक रूपों में पायी जाती है, यह एक सजातीय प्रघटना न होकर अनेक अंर्तसंबधित समस्याओं से जुड़ी प्रघटना है। उनके अनुसार लैंगिक असमानता को सामान्यतः सात रूपों में देखी जा सकती है– मर्त्यता असमानता, प्रासूतिक असमानता, मौलिक सुविधा असमानता, विशेष अवसर असमानता, व्यावसायिक असमानता, स्वामित्व असमानता, एवं घरेलू असमानता।

भारत में लैंगिक असमानता के लिये सरकारी तंत्र के साथ–साथ हमारा समाज भी इसके लिये बराबर के भागीदार हैं। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की कम भागीदारी व महिलाओं के प्रति भेदभाव होना आम बात हो गयी है। शिक्षा का लैंगिक असमानता व गरीबी का आपस में गहरा संबंध है। अतः बिना लैंगिक भेद–भाव को दूर किये विकसित भारत का सपना साकार नहीं होगा। अतः इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत को विकसित बनाने हेतु लैंगिक भागीदारी का महत्व व इसके अड़चनों पर ध्यान आकृष्ट कराना है।

उद्देश्यः

इस शोध पत्र को लिखने का हमारा मुख्य उद्देश्य लैंगिक असमानता का विश्लेषण कर आर्थिक विकास और समानता के बीच संबंध का अध्ययन करना है।

सुझावः

'लिंग' सामाजिक–सांस्कृतिक शब्द है, सामाजिक परिभाषा से सम्बन्धित करते हुये समाज में 'पुरुषों' और 'महिलाओं' के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि, 'सेक्स', 'आदमी' और 'औरत' को परिभाषित करता है जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के सम्बन्ध हैं जहाँ पर पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। लिंग असमानता को हम सामान्य शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना है क्योंकि परम्परागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति–वर्ग के रूप में माना जाता है।

महिलाओं की समस्यायें बहुत गहरायी से भारतीय सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई हैं। पितृसत्तात्मक एवं पुरूष प्रधान समाज में जब तक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किये जायेगें तब तक स्त्री की परिस्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगें।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में नौकरियों और संवैधानिक नियमों के तहत आरक्षण देना चाहिये जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके।

लैंगिक असमानता के पीछे एक बड़ा कारण दहेज प्रथा है, जिसके लिये स्त्री व पुरूष दोनों ही जिम्मेदार हैं। समाज में पुरूष महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। अतः समाज में महिलाओं की खराब स्थिति के लिये समाज तथा सरकार दोनों ही दोषी हैं।

लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये स्त्री सशक्तिकरण एक सबल उपाय माना जाता है। आज भी राष्ट्रों में इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अतः अंत में, स्वयं स्त्री को ही अकेले ओर सामूहिक रूप से अपनी उपर्युक्त स्थिति के लिये उत्तरदायी कारणों का हल खोजना होगा। कोई भी किसी को उसके अधिकार नहीं दिला सकता। अपने अधिकार खुद लेने पड़ते हैं और उनकी रक्षा करनी पड़ती है। यह इतना आसान कार्य नहीं है क्योंकि सदियों से चली आ रही सामाजिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं एवं मूल्यों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन सामूहिक प्रयास करने से हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्षः

हम कह सकते है कि लैंगिक असमानता में कमी तभी हो सकती है जब हम उसे भारतीय समाज में लोगों की मानसिकता को बदल दें और इसके साथ ही शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाकर महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ायें, तभी विकसित समाज तथा समृद्ध भारत का निर्माण होगा।

आभारः

लेखकगण, प्राधिकारी, सचिव श्री अनुज मोंटी यादव, निदेशक, डा0 संदीप पांडेय एवं अशाँक हनी यादव, चौ0 सुघर सिंह एजूकेशनल एकेडमी जसवंतनगर, इटावा के अत्यधिक कृतज्ञ हैं।

इसके अतिरिक्त डा0 संदीप पांडेय, निदेशक, चौ0 सुधर सिंह एजूकेशनल एकेडमी, जसवंतनगर, इटावा ने मेरे शोध पत्र के लिखने के लिये आर्थिक सहायता हेतु सहयोग किया जिसके लिये लेखकगण धन्यवाद देते हैं।

संदर्भ सूचीः

1. प्रेमी, सुमन कुमार एवं श्वेता सोनकर : भारत में लैंगिक असमानता का समीक्षात्मक अध्ययन, (2019) International Journal of Creative Reasearch Thought (I.J.C.R.T).
2. सिंह, अमिताः लिंग एवं समाज, (2017), विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7.
3. महाजन, धर्मवीर एवं कमलेश महाजनः भारतीय समाजः मुददे एवं समस्यायें, (2018), विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7.
4. महाजन, धर्मवीर एवं कमलेश महाजनः तुलनात्मक समाज शास्त्र, (2019), विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली–7.
5. अमर्त्य सेनः "Gender: Seven types Inequality" in human Rights Vision, 2001, 22.